


# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मंय इनिशियल्स जज Gems-2023/310	नंबर व तारीख अंत जो इस हुक्म की तामील में जारी है
07 <sup>04</sup> / <sub>2025</sub>	<p>पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना एवं आपत्तिकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना ने पत्रांक भू.अ./2025/1206 दिनांक 05.04.2025 द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में गैर मुमकिन रास्ते का पुनः विस्तृत प्रस्ताव पेश कर ग्राम पंचायत पुरानाबास द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.08.2024 में लिये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत पुनः विस्तृत प्रस्ताव की नकल प्राप्त की। उक्त प्रस्ताव पर आपत्तिकर्ता अधिवक्ता प्रतिवादी ने ग्राम पंचायत पुरानाबास द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.08.2024 में लिये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने पर अपनी सहमती जाहिर कि एवं आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। तहसीलदार नीमकाथाना एवं आपत्तिकर्ता अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/1206 दिनांक 05.04.2025 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम पुरानाबास पटवार मण्डल पुरानाबास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.008 हैक्ट, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.13 हैक्ट किस्म चाही-2 मे से 0.006 हैक्ट., खसरा नम्बर 181 रकबा 0.19 हैक्ट किस्म चाही-2 मे से 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 182 रकबा 0.97 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.010 हैक्ट., खसरा नम्बर 178 रकबा 0.97 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.015 हैक्ट., खसरा नम्बर 183 रकबा 0.71 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.008 हैक्ट., खसरा नम्बर 187 रकबा 0.15 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.013 हैक्ट., खसरा नम्बर 192 रकबा 0.60 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.025 हैक्ट., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.23 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.005 हैक्ट., खसरा नम्बर 186 रकबा 0.96 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.024 हैक्ट., खसरा नम्बर 194 रकबा 0.69 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.016 हैक्ट., खसरा नम्बर 185 रकबा 0.38 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.016 हैक्ट., खसरा नम्बर 188 रकबा 0.17 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से</p>	


राजवीर सिंह यादव

0.001 हैक्ट. में रास्ता कुल 04 मीटर चौड़ा व 412 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता कोटड़ा रोड़ से बांकली की ढाणी तक एवं आगे खेतों तक का तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 2.22 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0220 हैक्ट., खसरा नम्बर 176 रकबा 2.07 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.024 हैक्ट., खसरा नम्बर 179/2 रकबा 0.592 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.0224 हैक्ट., खसरा नम्बर 181/2 रकबा 0.182 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 182/2 रकबा 0.96 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.016 हैक्ट., खसरा नम्बर 222 रकबा 0.93 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0224 हैक्ट., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.85 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0224 हैक्ट., खसरा नम्बर 230 रकबा 0.56 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.016 हैक्ट, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.50 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0112 हैक्ट., खसरा नम्बर 229/713 रकबा 0.28 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 223 रकबा 0.98 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0216 हैक्ट., खसरा नम्बर 239 रकबा 0.35 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0128 हैक्ट., खसरा नम्बर 240 रकबा 0.51 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.0104 हैक्ट., खसरा नम्बर 245 रकबा 0.47 हैक्ट. किस्म चाही-2 मे से 0.012 हैक्ट., खसरा नम्बर 246 रकबा 0.66 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0144 हैक्ट., खसरा नम्बर 251 रकबा 0.61 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.0144 हैक्ट., खसरा नम्बर 252 रकबा 0.40 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.016 हैक्ट. में रास्ता कुल 04 मीटर चौड़ा व 700 मीटर लम्बाई का गै.मु. रास्ता कोटड़ा-पुरानाबास रोड़ से पीला जोहड़ा डामर रोड़ तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत पुरानाबास का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, गुगल नक्शा पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना